

उच्च न्यायालय नैनीताल, उत्तराखण्ड।

रिट याचिका सं० 964/2020 (एम/एस)

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर आयुक्त एवं ए. एन. आर

.....प्रत्यर्थी

उपस्थित:

श्री प्रियदर्शी मनीष के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री ऐश्वर्या शर्मा और श्री एम.एस. बिष्ट, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री शोभित सहारिया, प्रतिवादीओं के विद्वान अधिवक्ता।

सुनवाई और आदेश की तिथि : 09.09.2022

श्री एस. के. मिश्रा, जे।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता-कंपनी ने उत्तरदाताओं द्वारा जारी किए गए फर्म को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की याचना की है और नए सिरे से फॉर्म जारी करने का निर्देश देते हुए परमादेश रिट जारी की है, जिसमें पूर्व की धनराशि 3,19,69,680/- समायोजित करेंगे। विकल्प में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी सं. 2 को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया है कि 3,19,69,680/- रुपये की राशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करें।
3. इस रिट याचिका में निर्धारण के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा कारण बताए जाने से पहले ब्याज के लिए भुगतान की गयी राशि को 'सबका विकास (विरासत विवाद समाधान) योजना' के तहत छूट के लिए उसके आवेदन का

निस्तारित करते हुए समय पूर्व-जमा के रूप में माना जाएगा। 2019 'जो वित्त अधिनियम की खंड 24 के तहत जारी किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि स्लमबर्गर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मामले में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ। लिमिटेड बनाम आयुक्त केंद्रीय जीएसटी अन्य अन्य। दिनांक 30.11.2021 को सीडब्ल्यूपी-6845-2020 में पहले ही इस प्रश्न का निर्णय लिया जा चुका है। अंतर केवल इतना है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले तय किए गए मामले में, पूर्व-जमा में ब्याज के अलावा जुर्माना भी शामिल था।
5. हमने निर्णय को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और यह याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि केंद्रीय जीएसटी विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश के खिलाफ कोई विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की गई है। दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित सहारिया प्रस्तुत करेंगे कि इस मामले में कुछ तकनीकी मुद्दे हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रपत्र सं. 1, 2 और 3 जारी किए जाते हैं और 30 दिनों की जीवन अवधि के साथ स्वतः आबादी वाले होते हैं और समय तक स्थगन स्थगन आदेश दिया गया था 30 दिन समाप्त हो गए थे और इसलिए, याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि राहत नहीं दी जा सकती है। हालांकि, प्रतिवादीओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह विवादित नहीं है कि मूल योजना 31.03.2020 की थी जिसे बाद में 30.06.2020 तक बढ़ा दिया गया था।
6. वित्त अधिनियम, 2019 की खंड 124 पर ध्यान में रखना उचित है, जो इस प्रकार है:-
 124. (1) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन इस योजना के तहत एक उद्घोषक को उपलब्ध राहत की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-
 - (क) जहां देय कर कारण बताओ नोटिस से संबंधित है या ऐसे नोटिस से उत्पन्न होने वाली एक या अधिक अपीलें जो 30 जून, 2019 को लंबित होना हैं, और यदि शुल्क की राशि निम्नलिखित है -

- (i) पचास लाख रुपये या उससे कम, तो, सत्तर प्रतिशत। कर देय राशि
- (ii) पचास लाख रुपये से अधिक, तो, पचास प्रतिशत
- (ख) जहां कर बकाया केवल विलंब शुल्क या जुर्माने के कारण बताओ नोटिस से संबंधित है और उक्त नोटिस में शुल्क की राशि का भुगतान किया गया है या शून्य है, तो विलंब शुल्क या जुर्माने की पूरी राशि
- (ग) जहां कर अवशिष्ट अवशिष्ट राशि से संबंधित है और –
- (i) शुल्क की राशि पचास लाख रुपये या उससे कम है, तो, साठ प्रतिशत कर देय राशि;
- (ii) शुल्क की राशि पचास लाख रुपये से अधिक है, तो, चालीस प्रतिशत कर देय राशि;
- (iii) अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के अधीन किसी विवरणी में, जिसमें घोषणाकर्ता ने देय शुल्क की राशि का संकेत दिया है, लेकिन उसका भुगतान नहीं किया है और दर्शाई गई शुल्क राशि है: –
- (अ) पचास लाख रुपये या उससे कम, तो, साठ प्रतिशत कर देय राशि;
- (ब) इंगित राशि पचास लाख रुपये से अधिक है, तो, चालीस प्रतिशत। कर देय राशि;
- (घ) जहां कर बकाया घोषणाकर्ता के विरुद्ध जांच, जांच या लेखापरीक्षा से जुड़ा हुआ है और 30 जून, 2019 को या उससे पहले परिमाणित राशि—
- (i) पचास लाख रुपये या उससे कम है, तो सत्तर प्रतिशत कर देय राशि;
- (ii) पचास लाख रुपये से अधिक, फिर, पचास प्रतिशत कर देय राशि;
- (ङ) जहां घोषणाकर्ता द्वारा स्वैच्छिक प्रकटीकरण के कारण कर बकाया देय है, वहां कर बकाया के संबंध में कोई राहत उपलब्ध नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के बशर्ते परिकल्पित राहत इस शर्त के बशर्ते होगी कि अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के बशर्ते अपीलीय कार्यवाहियों के किसी स्तर पर पूर्व जमा के रूप में या जांच, अन्वेषण या लेखापरीक्षा के दौरान जमा के रूप में संदत्त की गई कोई रकम, घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम दर्शाने वाला विवरण जारी करते समय कटौती की जाएगी: बशर्ते कि यदि घोषणाकर्ता द्वारा पहले से ही भुगतान की गई पूर्व जमा या जमा की राशि घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि से अधिक है, जैसा कि नामित समिति द्वारा जारी किए गए विवरण में इंगित किया गया है, तो घोषणाकर्ता किसी भी धनवापसी का हकदार नहीं होगा।

7. उपर्युक्त खंड की उपखंड (2) इस मामले के लिए सुसंगत है। इसे स्पष्ट रूप से पढ़ने पर देखा गया है कि उपधारा (1) के बशर्ते परिकल्पित राहत इस शर्त के बशर्ते होगी कि अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के बशर्ते अपील कार्यवाही के किसी भी स्तर पर पूर्व-जमा के रूप में या जांच, अन्वेषण या लेखापरीक्षा के दौरान जमा के रूप में संदत्त की गई किसी राशि की कटौती, घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि दर्शाने वाला विवरण जारी करते समय की जाएगी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम स्वयं करों के भुगतान के बीच कोई अंतर नहीं करता है, उस पर ब्याज या जांच, जांच या लेखा परीक्षा के दौरान जमा की गई राशि में कोई जुर्माना विवरण जारी करते समय काटा जाएगा और घोषणाकर्ता को राहत की गणना करते समय समायोजित किया जाएगा।
8. स्लमबर्गर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मामले में पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय। लिमिटेड (उपर्युक्त) ने इस प्रावधान को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“खंड 124 (2) को पढ़ने से पता चलता है कि खंड 124 (1) के बशर्ते गणना की गई राहत इस शर्त के अधीन है कि जांच, जांच या ऑडिट के दौरान भुगतान की गई किसी भी राशि को घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि का संकेत देते हुए बयान जारी करते समय काटा जाना चाहिए। खाली प्रावधान ‘भुगतान की गई किसी भी राशि’ की बात करता है, वही विभिन्न शीर्षों के तहत भुगतान की गई राशि के बीच अंतर

नहीं करता है। इसमें स्पष्ट रूप से दो प्रकार की कटौती की परिकल्पना की गई है—पहला, अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के तहत अपीलीय कार्यवाही के किसी भी चरण में किया गया कोई भी पूर्व-जमा और दूसरा, जांच, जांच या लेखा परीक्षा के दौरान किया गया कोई भी जमा। गणना को अंतिम रूप देते समय 'पूर्व-जमा' की इन दोनों प्रजातियों की गणना की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि दूसरी श्रेणी में आती है। यह प्रावधान केवल राशि की बात करता है, भले ही इसका भुगतान कर के रूप में किया गया हो या ब्याज या जुर्माना। अतः नामित समिति द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्थिर नहीं रखा जा सकता है। कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। यदि याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा भुगतान की गई पूरी राशि को कर के रूप में प्रेषित कर दिया होता, तो प्रतिवादीओं ने दिया होता पूरी राशि का क्रेडिट और उसके ब्याज दायित्व को भी माफ कर दिया गया होगा। याचिकाकर्ता को विभिन्न शीर्षों के तहत राशि जमा करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है, जब प्रावधान जांच के दौरान भुगतान की गई राशि को छूट देने के लिए अनिवार्य करता है, जिसके तहत इसे जमा किया गया है।

वर्तमान याचिका स्वीकृत है। परिणामतः (i) एस. वी. एल. डी. आर. एस.-2 और एस. वी. एल. डी. आर.-3 को सूचित करने वाली नामित समिति की टिप्पणियों को रद्द कर दिया गया है:

(ii) नामित समिति को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार ब्याज और जुर्माने के लिए भुगतान की गई राशि को समायोजित करके आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर फिर से विचार करे और याचिकाकर्ता को एसवीएलडीआरएस-3 जारी करने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।

9. इस न्यायालय की राय है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा की गई टिप्पणी वित्त अधिनियम, 2019 की खंड

124 की उप-खंड (2) के प्रावधान के अनुरूप है। अतः रिट याचिका विचार योग्य है।

10. जहां तक प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित सहरिया द्वारा उठाए गए तकनीकी प्रश्न का संबंध है, इस न्यायालय की राय है कि वित्त अधिनियम, 2019 की खंड 124 एक हितकारी प्रावधान है। संसद ने अपने विवेकाधिकार से एक बार की राहत देना उचित समझा जीएसटी योजना के तहत सभी करदाता, ताकि विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सके और न्यायालयों और अधिकारियों द्वारा प्रावधानों की प्रतिबंधात्मक संकीर्ण व्याख्या से बचा जाना चाहिए ताकि लाभकारी योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसलिए, इस न्यायालय को, भले ही सूचित किया गया हो कि योजना पहले ही अपने निष्कर्ष पर आ चुकी है और स्वतः—जनयुक्त प्रपत्र पहले ही समाप्त हो चुका है, न्यायालय रिट याचिका को अनुमति देने के लिए इच्छुक है।
11. रिट याचिका स्वीकृत की जाती है। परिणामस्वरूप, यह न्यायालय निर्देश देता है कि प्रपत्र एस. वी. एल. डी. आर. एस.-3 को अभिखंडित कर दिया जाए और इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने के लिए, ब्याज के लिए भुगतान की गई राशि को विशिष्ट रु. 3,19,69,680/- कानून के अनुसार और याचिकाकर्ता को एसवीएलडीआरएस-3 जारी करने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर भुगतान, यदि कोई हो, करने का भी निर्देश दिया जाता है।
12. व्यय के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं किया गया है।

(संजय कुमार मिश्रा, जे.)

(नियमों के अनुसार प्रमाणित प्रतियां प्रदान करें)